फर्द अहकाम

यालय ..... उपखण्ड अधिकारी ..... मुकाम ..... गोविन्दगढ़ (अलवर)

..... प्रकाश वगैरा ..... बनाम ..... कुशाल चन्द वगैरा

प्रा० पत्र 212 RTA प्रकरण सं. 2/39/2022

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
26.8.22	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रा० पत्र U/S 212 R.T.A. वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रा० पत्र की ताईद में प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र पेश किया व अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जवाब पेश पेश होने तक पाबन्द किया जाता है कि वो आ० ख० नं. 590, 591, 681 वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें एवं प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट व मजाहमत पैदा न करें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो दिनांक 6.10.22 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस रजि० डाक से तलब हो। पत्रावली दिनांक 6.10.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

उजारा .... बनाम .... कुशाल चंद ....

प्रकरण सं. 2/39/2022 .... तारीख रजू ....26.08.22........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
15.04.25	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० टीनेन्सी एक्ट व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा० दी० पेश कर कथन किया गया कि आराजी ख. संख्या 590 रकबा 0.2908, 591 रकबा 0.2529, 681 रकबा 0.2781 वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ में स्थित है जिसके साबिक नम्बर 541, 548 व 555, 562 है। यह कि हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है जो मृतक श्री मेंदू के परिवार के सदस्य एवं वारिसान है। यह कि विवादित आराजी मृतक मेंदू की पैदा करदा आराजी थी जो मेंदू के फौत होने पर उसके तीनों पुत्रगण कन्हैया, भोलू, लीला को बहैसियत वारिसान प्राप्त हुई। साबिक रिकार्ड में तीनों का नाम है। प्रार्थीगण का ~~विवादित~~ विवादित आराजी में मृतक लीला के वारिसान का 1/3 हिस्सा है तथा कन्हैया के वारिसान प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 4 लगा० 12 का 1/3 हिस्सा है तथा शेष 1/3 हिस्सा	C.A. [initials] [initials] 15.04

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
	प्रतिवादी अप्रार्थी। नं० 3 का है जो मौलू के वारिसान है। यह कि संवत 2028 में सैटलमेंट कार्य पूर्ण होकर, राजस्व रेकार्ड सैटलमेंट ने तैयार किया। जिस राजस्व रेकार्ड में भू प्रबन्ध विभाग, राजस्व विभाग के कर्मचारीगण की गलती से प्रार्थीगण के बुजुर्ग मृतक लीला का नाम दर्ज नहीं किया। जिस गलत इन्द्राज की जानकारी प्रार्थीगण के बुजुर्ग लीला या उसके पुत्र गण रामजीलाल, नवलकिशोर, जगदीश को नहीं हो सकी। अब अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ गयी है और वो विवादित आराजी में प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से नाजायज लाभ उठाना चाहते हैं। अत: प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला वार अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रा० पत्र पेश कर कथन किया कि प्रा० पत्र में वर्णित आराजी पर कोई विवाद नहीं है। मेड़ के सजरे के सम्बन्ध में जो सजरा दर्ज किया गया है वो गलत है। दावे व प्रार्थना पत्र में सामिल	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

[illegible] बनाम कुशाल चंद

प्रकरण सं. 2/34/2022 तारीख रजू 26.08.22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
	गलत दर्ज किये गये हैं कि मैंडूराम के मरने के बाद आराजी मुतनाजा में सायलान के बुजुर्गों का $\frac{1}{3}$ भाग रहा हो, सही तथ्य इस प्रकार है कि मैंडू की समस्त आराजी मात मैंडू के जीवनकाल में ही मैंडू द्वारा बंटवारा कर दिया गया। सायलान का आराजी मुतनाजा में $\frac{1}{3}$ भाग होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ना ही सायलान आराजी मुतनाजा के $\frac{1}{3}$ भाग पर काबिज है। यहां यह तथ्य दर्ज करना भी आवश्यक है कि सायलान बिना तकसीम की इस्तदुआ किये आराजी मुतनाजा में खातेदारी की मांग नहीं कर सकते हैं। बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा कानूनन दौराने बन्दोबस्त आराजी मुतनाजा का सही इन्द्राज किया है। कब्जे के सम्बन्ध में सायलान द्वारा दर्ज तथ्य भी गलत है। अतः जवाब प्रा० पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रा० पत्र इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे। बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस का मनन किया। प्रतिवादी/ प्रार्थी के हक/ अधिकारों का निर्णय मूल वाद में साक्ष्य के पश्चात	15.04

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
	किया जाना है तथापि प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होने, वाद बहुलता को रोकने के लिए अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रा०पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राज० टीनेन्सी एक्ट (राज० काश्तकारी अधिनियम, 1955) स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.08.22 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को पुष्ट किया जाता है एवं अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वह तफैसला वाद आराजी ख. नम्बर 590, 591, 681 वाके ग्राम रामबाग तह० [illegible] में मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यह फैसला आज मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नाबर से कम हो, शामिल मूल वाद रहे। 15.04.2015	